सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 02/2017 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2017/00002

अनवान

1. सरकार जरिये तहसीलदार सेमारी, जिला उदयपुर

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री लालूराम पिता मेगजी डांगी निवासी जालमपुरा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रम्बा पत्नि लालूराम डांगी निवासी जालमपुरा, तहसील सेमारी, जिला उदयपुर

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-04-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी तहसीलदार सेमारी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा जालमपुरा, पटवार मण्डल कुराडियां, तहसील सेमारी की आराजी संख्या 913, रकबा 1.50 हेक्टेयर में से 0.21 हेक्टेयर भूमि का आवंटन उपखण्ड अधिकारी, सराडा द्वारा अपने प्रकरण संख्या 72/2010 से दिनांक 07.03.2011 को विपक्षीगण के पक्ष में किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 174 दिनांक 29.08.2011 द्वारा आवंटीगण के पक्ष में खोला जाकर गैरखातेदार दर्ज रेकर्ड किया गया। वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में खसरा नम्बर 966/913 रकबा 0.21 हेक्टेयर भूमि विपक्षीगण श्री लालूराम पिता मेगजी, रम्बा पत्नि लालूराम डांगी के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आज दिनांक तक मौके पर कोई कब्जा नही किया है, न ही मौके पर कोई बाड़ अथवा पत्थरों का कोट किया है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि रिक्त होकर खाली है। अतः उपखण्ड अधिकारी सराडा द्वारा विपक्षीगण के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर भूमि बिलानाम सरकार दर्ज की जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष एवं प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षीगण की ओर से श्री महेश भट्ट, अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया, किन्तु मामले में जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के वाबजूद जवाब विपक्षीगण अप्राप्त रहने से प्रकरण में जवाब विपक्षीगण बन्द किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी

सराडा से आवंटन से सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 72/2010 तलब की जाकर प्रकरण में एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। जिन्होनें अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विपक्षीगण को आवंटित भूमि मौके पर पडत होना, आवंटन शर्तो की पालना न होना, आवंटी का गैर खातेदार होना खसरा गिरदावरी अनुसार मौके पर काश्त न होना आदि आधार पर विपक्षीगण को किया गया आवंटन निरस्त करने की मांग की।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, आवंटन पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया एवं उसमे वर्णित तथ्यों पर मनन किया। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख द्वारा जांच रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर उक्त भूमि का आवंटन विपक्षीगण को किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार सराडा, विकास अधिकारी, सरपंच आदि के हस्ताक्षर हो अध्यक्ष के रूप में प्रभारी अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 के हस्ताक्षर मौजूद है तथा आवंटन पत्र पर उपखण्ड अधिकारी सराडा के हस्ताक्षर भी उपलब्ध है। आवंटन के पश्चात विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना कब्जा सुपुर्दगी रिपोर्ट पर पाया गया है। इस प्रकार आवंटन में किसी प्रकार की त्रुटि होना प्रथम दृष्टया नही पाया जाता है, किन्तु आवंटन के पश्चात् खसरा गिरदावरी एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर खातेदार (आवंटी) द्वारा कब्जा काश्त किया जाना प्रकट नही होता है, अर्थात विपक्षीगण द्वारा आवंटन के पश्चात् आवंटन नियमों की पालना नही की गयी है। आवंटन आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार आवंटी को प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत एवं शेष भूमि द्वितीय वर्ष में काश्त करनी अनिवार्य थी, किन्तु आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की जाने से उक्त आराजी पर आवंटी का नाम आज भी गैर खातेदारी हक से दर्ज होना खसरा गिरदावरी एवं नकल जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर हम विपक्षीगण को आवंटित कथित आराजी पर उपखण्ड अधिकारी सराड़ा द्वारा किया गया आवंटन, आवंटन शर्तो की पालना के अभाव में खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार सेमारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में मौजा जालमपुरा तहसील सेमारी की आराजी संख्या 913 रकबा 0.21 हेक्टेयर पर किया गया आवंटन दिनांक 07.03.2011 को आवंटन शर्तो की पालना एवं कब्जा काश्त के अभाव में खारिज किया जाता है तथा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर